International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232
Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 4; Issue 1; January 2018; Page No. 54-58

जबलपुर संभाग की औद्योगिक कार्यदशाएँ एवं लघु उद्योग

डॉ0 नीरज केशरवानी
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, गोविंदराम सेकसरिया अर्थ–वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
किसी भी क्षेत्र का विकास मुख्यतः दो तत्वों पर निर्भर करता है कृषि एवं उद्योग/कृषि मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय है। जिसकी प्रगति सभी स्थानों पर समय के साथ–साथ उद्यमशील किसानों के द्वारा की जाती रही है, किन्तु उद्योगों का विकास होने के लिए किसी भी स्थान विशेषज्ञ का महत्वपूर्ण होना ही आवश्यक नही है अपितु इसके साथ–साथ अन्य बहुत से कारक मिलकर किसी भी स्थान को व्यवसाय उद्योग से परिपूर्ण बनाते है। जैसे– क्षेत्र विशेष में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त कच्चा माल, स्थानीय रूप से या आसपास में उपलब्ध हो सकने वाला बाजार, श्रमिकों/तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता, औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु आवश्यक विभिन्न संसाधनों (जैसे भूमि/शेड,बिजली, पानी, सड़क तथा अन्य संसाधन) की उपलब्धता आदि।

मूल शब्द: जबलपुर संभाग, औद्योगिक सुविधाएं एवं अनुदान

प्रस्तावना
जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है। जो प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदा तथा मानवीय संसाधनों से परिपूर्ण है। संभाग में जबलुपर, मण्डला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट डिण्डौरी तथा कटनी जिले शामिल है।
राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास की दृष्टि से जबलपुर संभाग के 5 जिले बालाघाट, छिंदवाडा,मण्डला,सिवनी व नरसिंहपुर को "स" श्रेणी के पिछड़े जिले व जबलपुर जिले को विकसित श्रेणी का घोषित किया गया है। संभाग में केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा उधोगों की स्थापना हेंतु प्रदान की जाने वाली समस्त बुनियादी सुविधायें, छूटें एवं सहायताएँ उपलब्ध है। संभाग में केन्द्र सरकार की 7 बडी इकाईयॉ स्थापित है। जिनमें से 4 औद्योगिक इकाइयॉ रक्षा उत्पादन मंत्रालय से, 1 संचार मंत्रालय से,1 खनन मंत्रालय से तथा 1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान से संबंधित है।
संभाग में 5 औद्योगिक विकास केन्द्र तथा 02 सेज स्थापित है। संभाग में एक औद्योगिक इकाई मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम के द्वारा स्थापित की गयी है व एक औद्योगिक इकाई संयुक्त क्षेत्र में स्थापित है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के अनेक मध्यम–बड़े एवं लघु उद्योग स्थापित की गयी है। जिनके द्वारा लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।
न्यायपालिका की दृष्टि से संभाग में म.प्र. उच्च न्यायालय का मुख्यालय है। पर्यटन की दृष्टि से संभाग में दो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली एवं पेंच (मोगली लैण्ड)है। शैक्षणिक दृष्टि से संभाग में 06 विश्वविद्यालय– रानीदुर्गावती,जवाहरलाल नेहरू कृषि, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा, नेता जी सुभाष चंद्र मेडिकल चिकित्सा एवं महर्षि महेश योगिक विश्वविद्यालय स्थापित है।
संभाग के जबलपुर जिले में सबसे अधिक रेडीमेड वस्त्रों (सलवार सूट व शर्ट) के कारखाने स्थापित है। संभाग में व्यावसायिक कार्य की दृष्टि से प्रमुख रूप से यहॉ पर गुड एवं शक्कर के कारखाने, किराना,जनरल स्टोर्स, रेडीमेड वस्त्र, गाडियों के शोरूम, होटल, अस्पताल, कम्प्युटर स्टोर्स, बोतल बंद पानी एवं पानी पाउच, टेंट सामग्री का निर्माण, वेयर हाउस, भवन निर्माण,अगरबत्ती निर्माण, आभूषण, प्रिटिंग, फ्लेक्स प्रिटिंग, फर्नीचर निर्माण,तेल एवं ऑइल मिल, दाल एवं चावल मिल,आदि की इकाईयॉ स्थापित है।

औद्योगिक विकास केन्द्र
म.प्र राज्य शासन द्वारा घोषित किये गये औद्योगिक विकास केन्द्रों की संख्या राज्य में 31 है। जबलपुर संभाग में मनेरी (मंडला) बोरगँव (छिंदवाड़ा), किरनापुर (बालाघाट) बंडोल (सिवनी), गलसपुर (नरसिंहपुर) औद्योगिक विकास केन्द्र है।

संभाग में शासन द्वारा लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाएंः
औद्योगिक विकास व रोजगार निर्माण में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखक्षे हुए मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए लघु उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की है। जो इस प्रकार हैः–

1. राज्य पूंजी लागत अनुदान योजनाः प्रदेश में स्थापित होने वाली नई पात्र लघु इकाईयों के लिए उनके द्वारा अपनी स्थापना से संबंधित खर्च की गई स्थाई लागत का एक निश्चित भाग राज्य पूंजी लागत का एक निश्चित भाग राज्य पूंजी लागक्ष अनुदान के रूप में दिया जाता है। जबलपुर संभाग के अंन्तर्गक्ष संभाग के विभिन्न जिलों में राज्य पूंजी लागत अनुदान योजना की सुविधा इस प्रकार है–

सारिणी क्रमांक 1: मध्यप्रदेश शासन की राज्य पूंजी लागत अनुदान योजना

जिला/औद्योगिक विकास केन्द्र	पूंजी लागत अनुदान प्रतिशत में	अधिकतम सीमा सामान्य लघु उद्योगों के लिए	अधिकतम सीमा थ्रस्ट सेक्टर के लघु उद्योगों के लिए
जबलपुर	स्थाई पूंजी निवेश का 5 प्रतिशत	1.5 लाख रूपये तक	1 लाख रूपये तक
नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा	स्थाई पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत	2.50 लाख रूपये तक	3 लाख रूपये तक
औद्योगिक विकास केन्द्र–मनेरी एवं बोरगाँव में	स्थाई पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत	5 लाख रूपये	5 लाख रूपये

स्त्रोत औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि. जबलपुर

2. ब्याज अनुदान योजना: प्रदेश के पिछड़े जिलों में स्थापित होने वाली नई लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए ब्याज अनुदान की योजना लागू की गयी है।

ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयाँ जो औद्योगिक संचालनालय या इसके कार्यालय अर्थात जिला उद्योग केन्द्र के पंजीकृत है तथा जिसने मध्यप्रदेश वित्त निगत या मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से या केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त कर या नई औद्योगिक इकाई ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से मशीन किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रय कर अपनी इकाई प्रारंभ की है तो उनके द्वारा लिए गए सर्वाधिक ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान यदि इकाई के स्वामी द्वारा नियमित रूपसे किया जाता है, तो उसे सामान्य श्रेणी का है तो 3 वर्षो तक के लिये 2 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी तथा यह छूट प्रतिवर्ष अधिकतम 25000 रूपये तक होगी।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का है तो उसे 3 वर्ष तक के लिए 6 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी तथा इनके संबंध में अधिकतम राशि की कोई सीमा नही है।

3. विद्युत अनुदान योजना: प्रदेश शासन की यह योजना ऐसी लघु उद्योग इकाईयों के लिए है जो औद्योगिक विकास केन्द्र में स्थापित है या जो नगर निगम एवं लाख या अधिक जनसंख्या (1981 की जनगणना के अनुसार) वाले शहरों में तथा इनके 8 किलोमीटर की सीमा में स्थापित नहीं है को विद्युत अनुदान की राशि विद्युत बिलों में कमी कर उपलब्ध कराई जाएगी। जिसका समायोजन इकाई से प्राप्त विद्युत शुल्क (सेवा) के विरूद्ध किया जाएगा। अनुदान की राशि अगर इकाई में विद्युत शुल्क (सेवा) की राशि की सीमा शुल्क ही अनुदान का लाभ प्राप्त होगा।

जबलपुर संभाग में लघु उद्योग इकाईयों के लिए विद्युत अनुदान की राशि इस प्रकार होगी: जबलपुर में विद्युत बिल का 2 प्रतिशत 2 वर्षो तक तथा अधिकतम सीमा1 लाख रूपये (इकाई द्वारा देय विद्युत शुल्क (सेवा) तक सीमित)। नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जिलों में– विद्युत बिल का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष 5 वर्षो तक तथा अधिकतम सीमा 5 लाख रूपये (इकाई द्वारा देय विद्युत शुल्क (सेवा) तक सीमित)।

4. परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत की प्रतिपूर्ति: इस योजना के अन्तर्गत ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयाँ जिन्होंने अपनी प्रोजेक्ट/परियोजना रिपोर्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अनुमोदित किसी परामर्शदाता संस्था से बनवाई है। तो इकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के बाद, इकाई द्वारा परियोजना रिपोर्ट पर किये गये खर्च कीी वास्तविक राशि का कुछ भाग, का पुनर्गभुगतान उसे किया जा सकता है, इस संदर्भ में पुर्नभुगतान की मात्रा परियोजना लागत के 0.50 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक हो सकती है। तथा पुर्नभुगतान की अधिकतम सीमा 3 लाख रूपये है। बशर्ते उनकी परियोजना लागत 1 करोड़ से कम हो।

5. प्रवेश कर में छूट: संभाग के समस्त जिलों में स्थापित होने वाली नई लघु औद्योगिक इकाईयों को कच्चे माल की खरीद पर प्रवेश कर की छूट प्राप्त होगी। लघु औद्योगिक इकाई द्वारा खरीदें जाने वाले कच्चे माल के प्रथम क्रय की दिनांक से लेकर 5 वर्षो तक प्रवेश कर में छूट प्राप्त है।

जबलपुर संभाग में स्थापित होने वाली नई लघु औद्योगिक इकाईयों को उनपके उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से एक निश्चित अवधि तक वाणिज्य कर में छूट/आस्थागन की सुविधा प्राप्त है। वाणिज्य कर में छूट/वाणिज्य कर आस्थगन की अधिकतम सीमा का निर्धारण इकाई द्वारा किए गए स्थाई पूंजी निवेश के एक निश्चित भाग के बराबर होता है जो जबलपुर संभाग के संबंध में निम्नानुसार है।

सारणी क्रमांक 2: जबलपुर संभाग में वाणिज्य कर में छूट/वाणिज्य कर आस्थगन की सुविधा

जिले	वाणिज्य कर में छूट		वाणिज्य कर आस्थगन	
	अधिकतम लाभ की सीमा	पात्रता की अवधि	अधिकतम लाभ की सीमा	पात्रता की अवधि
जबलपुर	125 प्रतिशत	3 वर्ष	175 प्रतिशत	4 वर्ष
नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट	250 प्रतिशत	7 वर्ष	300 प्रतिशत	9 वर्ष
औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी व बोरगाँव में (10 लाख रू. के पूंजी निवेश पर)	250 प्रतिशत	9 वर्ष	300 प्रतिशत	11 वर्ष

स्तोत्रःऔद्योगिक विकास केन्द्र (निगम) लि. जबलपुर

6. आई.एस.ओ. 9000 मान्यता प्रमाण प्राप्त करने हेतु अनुदानः जबलपुर संभाग में स्थापित ऐसी लघु इकाइयाँ जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु आई.एस.ओ.9000 प्रमाण पत्र या उसके समतुल्य प्रमाण पत्र को करने में यदि किसी संस्था की सहायता लेती है व इसके लिए उस संस्था को कोई शुल्क देती है तो उस शुल की 50 प्रतिशत राशि या अधिकतम 75000 रू. तक उस लघु इकाई को प्रतिपूर्ति के रूप में प्राक्ष हो सकते है।

7. लघु उद्यमियों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायताः शासन द्वारा ऐसे 409 उत्पादों की पहचान की गयी है जिनके विपणन में शासन द्वारा उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई है वर्तमान समय में मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के द्वारा लगभग 196 उत्पादों में विपणन में सहायता प्रदान की जा रही है। यदि कोई उद्यमी अपनी

लघु इकाई जबलपुर संभाग में स्थापित कर किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे जबलपुर संभाग में स्थित मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की शाखा से विपणन हेतु सहायता प्राप्त हो सकती है।

8. परीक्षण शाला व कलकक्ष की सुविधायें: प्रदेश शासन ने जबलपुर संभाग में स्थापित लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के द्वारा परीक्षणशाला एवं कलकक्ष की बुनियादी एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई है ये सेवायें रियायती शुल्क पर उपलब्ध है। यह सुविधा ऐसी लघु इकाईयों के लिए बहुत उपयोगी है। जो अपने परिसर में स्वयं की मंहगी प्रयोगशाला एवं उत्कृष्ठ कलकक्षों की स्थापना नही कर सकते।

9. कच्चे माल की पूर्ति: प्रदेश शासन ने जबलपुर संभाग में स्थापित ऐसी लघु इकाइयाँ जिनको उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल की आवश्यकता है की पूर्ति, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के द्वारा करने की व्यवस्था की है। जबलपुर संभाग में लघु उद्योग निगम कच्चे माल का वितरण करने का यह सेवा लधु उद्योगों के विकास एवं उसके उत्पादन के अनुरक्षण व वृद्धि सुगम बनाने में मद करती है।

संभाग के लघु उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए स्थापित संस्थाओं का विवरण

जिला उद्योग केन्द्र

जबलपुर संभाग के सभी जिलों में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत् है जो लघु उद्योगों की स्थापना में उद्यमियों को उद्यम के चयन में में मार्गदर्शन प्रदान करते है साथ ही परियोजना व रूपरेखा तैयार करना, इकाई का पंजीयन करना, शेड या भूखंड का आवंटन करना, विद्युत शक्ति एवं टेलीफोन हेतु अनुशंसा, ऋण हेतु अनुशंसा दुर्लभ कच्चे माल हेतु अनुशंसा लागत पूंजी का अनुदान एवं प्रशिक्षण तथा बीमार इकाईयों को फिर से शुरू करने का प्रयास करना आदि भी इस केन्द्र के प्रमुख कार्य है।

जबलपुर संभाग में अन्य शासकीय विभाग जो लघु उद्योगों के विकास व विस्तार हेतु कार्यरत् है उकने विवरण इस प्रकार है:—

1. म.प्र. लघु उद्योग निगम : इस निगम का प्रमुख कार्य शासकीय क्रय एवं उद्यमी के मध्य माध्यम का कार्य करना है। जिससे उद्यमी के लिए शासकीय क्रय का बाजार उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही उद्यमियों के लिए कच्चा माल की उपलब्धता, विपणन की व्यवस्था एवं गुणवत्ता नियंत्रण में सहयोग करना है। इस निगम का क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर में स्थित है।

2. म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (क)लि : इस विभाग का प्रमुख कार्य उद्योगों के विकास हेतु क्षेत्र का चयन करना और क्षेत्र के विकास हेतु सभी आवश्यकताओं जल, विद्युत, सड़क, जमीन, टेलीफोन, आदि की व्यवस्था करना है। तथा इस क्षेत्र में उद्योगों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न अनुदान प्रदान करना है।

3. म.प्र. वित्त निगम : इस विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर मे स्थित है यह निगम उद्योगों को आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराता है।

4. म.प्र. कन्सलटेंसी ऑर्गनाईजेशन : इस संख्या की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों व वृहत उद्योगों को कन्सलटेंसी सेवायें प्रदान करना है। जिससे उद्यमी को उद्योग स्थापित करने कें पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। प्रत्येक संभाग में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है।

5. म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम : इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास व विस्तार है जिसके अंतर्गत विभिन्न कृषि उपकरणों का निर्माण, विकास एवं विपणन की व्यवस्था है। इस निगम के सभी जिला स्तरीय विभाग कार्यरत् है जिससे कृषक एवं उद्यमी को शीघ्र सेवा प्रदान की जा सके।

6. उद्यमिता विकास केन्द्र : उद्यमिता विकास केनद्र मध्य प्रदेश का प्रमूल्य उद्देश्य में उद्यमिता का वातावरण तैयार करना एवं प्रशिक्षण के माध्यम से इकाई स्थाापना पूर्व एवं पश्चात् संबंधित समस्याओं में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

7. उद्यमिता विकास का प्रकोष्ठ : नव उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करने एवं महाविचद्यालयीन स्तर से विद्यार्थियों में उद्यमिता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

8. लघु उद्योग सेवा संस्थान : केन्द्र शासन के अन्तर्गत कार्यरत् लघु उद्योग सेवा संस्थान संभाग का एक मात्र शाखा में कार्यरत् है। जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को जानकारी, तकनीकी प्रशिक्षण, बाजार व्यवस्था आदि उपलब्ध करवाना है।

9. म.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग : इस विभाग का मुख्य कार्य ग्राम एवं खादी के विकास के लिये उस पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु उद्यमियों को मार्गदर्शन, उद्योगों के विकास हेतु उद्यमियों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी, ऋण एवं विपणन व्यवस्था प्रदान करना है। संभाग के सभी जिलों में इसके जिला स्तरीय कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र में कार्यरत् है।

औद्योगिक विकास केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर स्थापित पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयाँ

जबलपुर संभाग के औद्योगिक विकास को प्रगति प्रदान करने के उद्देश्य स्थापित किये गये औद्योगिक विकास केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों ने अपनी स्थापना के मूल उद्देश्यों सार्थक किया है। यहाँ पर सीमित लघु इकाईयों से अनेक व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए।

सारिणी क्रमांक 3: औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी एवं बोरगाँव में स्थापित लघु उद्योग व उपलब्ध रोजगार

औद्योगिक विकास केन्द्र	स्थापित लघु उद्योग	पूंजी निवेश (लाख रूपये में)	उपलब्ध रोजगार
मनेरी (जिला मंडला)	41	569.99	1008
बोरगाँव (जिला छिंदवाड़ा)	28	257.90	131
कुल	69	827.89	1139

स्त्रोत : औद्योगिक केन्द्र विकास, निगम, जबलपुर वार्षिक प्रतिवेदन 2011.12

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास केन्द्रों ने अपनी स्थापना के उद्देश्य अनुसार, लघु उद्यमियों को आकर्षित करके उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास, पूंजी निवेश व रोजगार के साधनों में वृद्धि की है। फलस्वरूप 69 लघु इकाईयों से 827.89 लाख रूपये के पूंजी निवेश से 1139 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हुआ है।

औद्योगिक क्षेत्र व अन्य स्थानों पर पंजीकृत लघु उद्योग

सारिणी क्रमांक 4

वर्ष	स्थापित पंजीकृत लघु उद्योग		पूंजी निवेश (लाख रूपये में)		उपलब्ध रोजगार	
	प्रतिवर्ष	कुल	प्रतिवर्ष	कुल	प्रतिवर्ष	कुल
1990.91	743	743	118.41	118.41	2566	2566
1991.92	923	1666	134.77	253.18	2191	4757
1992.93	917	2583	117.64	370.82	1785	6542
1993.94	566	3149	109.5	480.32	1418	7960
1994.95	589	3738	106.4	586.72	1601	9561
1995.96	606	4344	139.54	726.26	1360	10921
1996.97	649	4993	209.54	935.8	1448	12369
1997.98	578	5571	221.21	1157.01	1163	13532
1998.99	263	5834	239.74	1396.75	690	14222
1999.00	281	6115	305.87	1702.62	585	14807
2000.01	286	6401	89.98	1792.6	698	15505
2001.02	212	6613	181.88	1974.48	575	16080
2002.03	117	6730	256.34	2230.82	414	16494
2003.04	557	7287	336.09	2566.91	1038	17532
2004.05	550	7837	376.18	2943.09	899	18431
2005.06	515	8352	433.8	3376.89	1330	19761
2006.07	544	8896	1210.2	4587.09	2055	21816
2007.08	633	9529	1055.72	5642.81	2585	24401
2008.09	693	10222	602.14	6244.95	1702	26103
2009.10	630	10852	936.45	7181.4	1461	27564
2010.11	650	11502	1241.54	8422.94	1556	29120
2011.12	621	12123	2246.5	10669.44	1977	31097

स्त्रोतः जबलपुर व्यापार एवं औद्योगिक केन्द्र, जबलपुर।

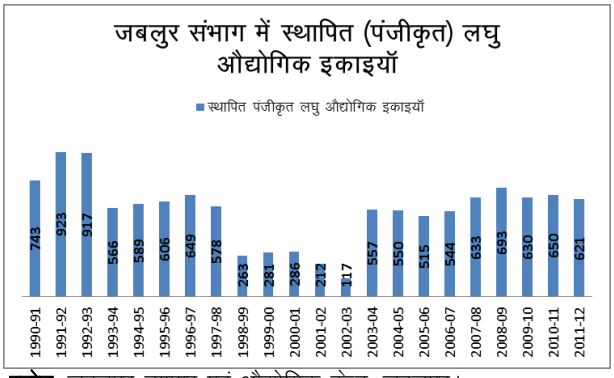

स्त्रोतः जबलपुर व्यापार एवं औद्योगिक केन्द्र, जबलपुर।

आकृति 1

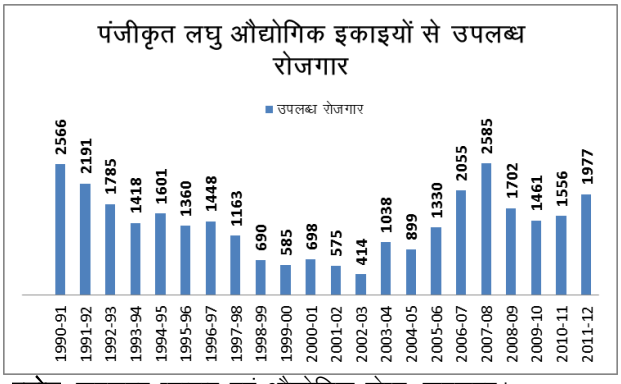

स्त्रोतः जबलपुर व्यापार एवं औद्योगिक केन्द्र, जबलपुर।

आकृति 2

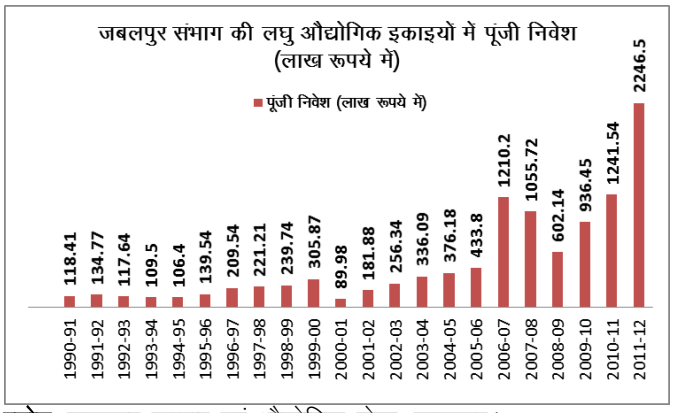

स्त्रोतः जबलपुर व्यापार एवं औद्योगिक केन्द्र, जबलपुर।

आकृति 3

जबलपुर संभाग के औद्योगिक क्षेत्र व अन्य स्थानों पर वर्ष 1990–91 के दौरान जहाँ 743 लघु उद्योग इकाइयाँ स्थापित हुई थी वही वर्ष 1997–98 तक 5571 लघु इकाइयाँ (पंजीकृत) स्थापित हुई। जिनमें वर्ष 1990–91 तक में 118.41 लाख रूपये पूंजी निवेश हुआ था। वर्ष 1997–98 तक यह बढ़कर 1396.75 लाख रूपये हो गया। वर्ष 2008–09 तक 10222 लघु इकाइयाँ (पंजीकृत) स्थापित हो चुकी थी, जो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 12123 हो गई। वर्ष 2008–09 तक 6244.95 लाख रूपये पूंजी निवेश हुआ था 10669. 44 लाख रूपय हो गया।

वर्ष 1990–91 में 2566 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ था जो वर्ष 1997–98 में बढ़कर 13532 व्यक्तियों को तथा वर्ष 2011–12 तक यह बढ़कर 31097 व्यक्तियों रोजगार उपलब्ध हो गया था।

इस प्रकार जबलपुर संभाग में निरन्तर लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में संख्या में वृद्धि हो रही है जो संभाग में उपलब्ध औद्योगिक कार्यदशाओं के सकारात्मक रूख का परिणाम है। राज्य शासन की औद्योगिक नीति व कार्ययोजना ने लघु उद्यमियों को आकर्षित कर, संभाग के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फलस्वरूप औद्योगिक विकास की दृष्टि से अन्य संभागों की अपेक्षाकृत पिछड़े जबलपुर संभाग में लघु उद्योगों की संख्या में निरंतर होती वृद्धि ने औद्योगिक व आर्थिक विकास को एक नई दिशा प्रदान की है।

निष्कर्ष

जबलपुर संभाग की औद्योगिक कार्यदशाओं का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जबलपुर संभाग में उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु जिन विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है वे सभी यहाँ पर उपलब्ध है।

जबलपुर संभाग औद्योगिक संभावनाओं से भरा आकाश है। मैं यहाँ पर जबलपुर संभाग के औद्योगिक विकास के भविष्य से जुड़े कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ जैसे कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम समेत कई अन्य प्रतिष्ठान निकट भविष्य में लगभग एक अरब रूपया से ज्यादा का पूंजी निवेश संभाग के औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी में करने वाले है। राज्य सरकार रेडीमेड कपड़ा उद्योग के उत्पादक शहर के रूप में जबलपुर संभाग के जबलपुर जिले को मान्यता देकर व्यापक सुविधाएं जुटाने की मंशा रखती है। केन्द्र सरकार संभाग में स्थित अपने सुरक्षा संस्थानों को सैन्य साजों के अलावा अन्य उपयोगी उपकरणें के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित दे रही है। म.प्र. विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर संभाग में है। इसमें संबंधित सहायक इकाइयां बहुत सीमित संख्या में है, जिनमें

वृद्धि की पर्याप्त संभावना है। इसके अतिरिक्त जबलपुर संभाग में रसायन उद्योग गैर परंपरागत उर्जा स्त्रोत के उपकरण, खनिज वनोपज तथा लकड़ी पर आधारित उद्योगों की पर्याप्त संभावनायें है। परन्तु जबलपुर संभग मे उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधायें उपलब्ध होने के बावजूद भी यह राज्य के प्रमुख संभागों जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर आदि की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है। उद्योगों की स्थापना में रूचि रखने वाले उद्यमियों तथा पूंजी निवेशकों तथा प्रतिभाओं का भी यहां अभाव नहीं, लेकिन फिर भी जबलपुर संभाग का औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। फलस्वरूप जबलपुर संभाग राज्य के अन्य संभागों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। इस औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण जबलपुर संभाग के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता तो है ही सथ ही कुछ अन्य कारण भी , जिनके संबंध में गंभीरता से विचार करना आवश्यक है तभी जबलपुर संभाग औद्योगिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है।

सन्दर्भ

1. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के मंत्राालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2000–01 से 2013–14
2. जबलपुर व्यापार एवं औद्योगिक केन्द्र, जबलपुर
3. औद्योगिक केन्द्र विकास, निगम, जबलपुर वार्षिक प्रतिवेदन 2011.12
4. मध्यप्रदेश उधोग नीति 1998
5. मध्यप्रदेश उधोग नीति 2004
6. मध्यप्रदेश उधोग नीति 2010